भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 936

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

7 श्रावण, 1946 (शक)

नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) के माध्यम से युवा शक्ति को बेहतर बनाना और विकसित करना

936. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन :

श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) के माध्यम से युवा शक्ति को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई, वितरित की गई और उपयोग की गई;

(ग) क्या कर्मचारियों और जिला समन्वयकों की कमी के कारण एनवाईके की गतिविधियां बाधित हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एनवाईके में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए देशभर के कलाकारों को शामिल करते हुए संस्कृति राजदूत समूह बनाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी हां। युवा कार्यक्रम विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन (देश भर में कुल 623 नेहरू युवा केंद्र) के माध्यम से युवा सशक्तिकरण तथा नेतृत्व में सुधार और विकास के लिए अन्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्यकलापों यथा मुख्य कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम और परियोजनाओं का आयोजन करता है। एनवाईकेएस का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को संगठित करना, प्रेरित करना है तथा गांव आधारित युवा क्लबों के रूप में लोकतांत्रिक संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना, उन्हें उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना, उनमें समानता और स्वयंसेवा की भावना से सामुदायिक विकास

और राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय नेतृत्व संभालने के लिए प्ररित करना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से आयोजित युवा विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान वितरित की गई और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ): एनवाईकेएस के कार्यकलाप और कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। यद्यपि मौजूदा रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है लेकिन नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। रिक्तियों उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ.) और (च): जी नहीं। तथापि, सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को सुधारने के लिए एक 'ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम' संचालित करती है। इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत और संबंधित देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना है। 'ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम' के तहत अन्य देशों में फेस्टिवल ऑफ इंडिया (एफओआई) का आयोजन किया जाता है। नृत्य, संगीत, लोक कला, रंगमंच, कठपुतली, प्रदर्शनियों आदि जैसी प्रदर्शन कलाओं के कलाकारों को भी एफओआई में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

****

अनुबंध-1

नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) के माध्यम से युवा शक्ति को बेहतर बनाना और विकसित करना के संबंध में डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा दिनांक 29.07.2024 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा निष्पादित युवा विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम का विवरण

क. मुख्य कार्यक्रम

1. युवा क्लब विकास अभियान
2. युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास पर प्रशिक्षण
3. ग्राम क्लस्टर/ब्लॉक स्तर और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता
4. खेलों को बढ़ावा देना (युवा क्लब को खेल सामग्री)
5. कौशल आधारित उद्यमिता कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय महत्व के दिनों, राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह को मनाना
7. स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान
8. स्वच्छता पखवाड़ा मनाना
9. श्रमदान शिविर
10. मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)
11. स्वयंसेवक नामांकन कार्यक्रम
12. युवा संवाद- भारत@2047
13. युवा उत्सव-भारत@2047 (जिला एवं राज्य स्तर)
14. अपने संविधान को जानें- नागरिक जागरूकता कार्यक्रम
15. कैरियर मार्गदर्शन कार्यशालाएँ
16. सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान और सड़क यातायात के लिए स्वयंसेवी सहायता
17. माई भारत-विकसित भारत@2047 भाषण प्रतियोगिता (जिला एवं राज्य स्तर)
18. मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान
19. आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी टीमों का गठन

ख. युवा कार्यक्रम विभाग की स्कीमें:

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की निम्नलिखित स्कीमें राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने, व्यक्तित्व एवं जीवन कौशल विकास, स्वयंसेवा, नेतृत्व विकास और स्थानीय समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा उनके संभावित समाधान के लिए कार्रवाई के लिए एनवाईकेएस द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

• **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम:**

क. साहस कार्यक्रम
ख. किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण
ग. राष्ट्रीय एकता शिविर
घ. अंतरराज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (एक भारत श्रेष्ठ भारत)

• **राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम:**

नेबरहुड पार्लियामेंट (एनवाईपी) - इसका उद्देश्य युवा क्लब के सदस्यों को सामान्य रूप से ग्रामीण समुदायों और विशेष रूप से युवाओं के सामने आने वाले समकालीन सामाजिक-आर्थिक विकास मुद्दों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें ऐसे मुद्दों पर बहस/चर्चा में शामिल करना है। राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर नेबरहुड पार्लियामेंट का आयोजन किया गया।

ग. एनवाईकेएस विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम/कार्यकलाप भी आयोजित करता है। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

1. जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेन परियोजना:
इस परियोजना का उद्देश्य युवा नेताओं और स्वयंसेवकों, परिवारों और ग्राम समुदायों को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विविध मुद्दों और आवश्यकता के बारे में जागरूक और शिक्षित करना तथा लोगों को इसका अनुसरण करने के लिए शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना है।

2. गृह मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम:
गृह मंत्रालय के सहयोग से एनवाईकेएस द्वारा जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी जनजातीय युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा को समझने में सक्षम बनाना, उन्हें विकास कार्यकलापों और औद्योगिक उन्नति से परिचित कराना है।

3. गृह मंत्रालय के सहयोग से कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम:
एनवाईकेएस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग से कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में हुई तकनीकी और औद्योगिक उन्नति से परिचित कराना है, जिसमें विभिन्न विकास कार्यकलापों, कौशल विकास, शैक्षिक शिविर; रोजगार के अवसरों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सहयोग से निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम:

एनवाईकेएस तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण, सामुदायिक जागरूकता पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनवाईकेएस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों और युवा क्लबों के सदस्यों को निवेशक शिक्षा जागरूकता और संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक सहयोगी परियोजना शुरू की है।

5. जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी:
इसका उद्देश्य युवाओं और जन भागीदारी के माध्यम से गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और इसके संरक्षण में योगदान देना है। इस परियोजना के प्रमुख कार्यकलापों में जागरूकता, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना, व्यक्तिगत संपर्क और सहकर्मी शिक्षा, गंगा उत्सव, भारत की नदियों के उत्सव के तहत विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

घ. विशेष कार्यक्रम

1. स्वच्छ भारत 2.0
2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना
3. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ)
4. विश्व साइकिल दिवस 2022
5. शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले
6. हर घर तिरंगा

अनुबंध-2

नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) के माध्यम से युवा शक्ति को बेहतर बनाना और विकसित करना के संबंध में डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा दिनांक 29.07.2024 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले दस वर्षों के दौरान आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा

राशि लाख रू.

		2014-15		2015-16		2016-17	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	366	353	418	418	448	415
2	अरुणाचल प्रदेश	394	380	450	450	483	446
3	असम	760	732	868	868	931	861
4	बिहार	1,070	1,031	1,221	1,221	1,310	1,212
5	छत्तीसगढ	451	434	514	514	552	510
6	गोवा	56	54	64	64	69	64
7	गुजरात	704	678	804	803	862	797
8	हरियाणा	535	515	611	610	655	606
9	हिमाचल प्रदेश	338	325	386	386	414	383
10	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	394	380	450	450	483	446
11	झारखंड	620	597	707	707	759	702
12	कर्नाटक	760	732	868	868	931	861
13	केरल	394	380	450	450	483	446
14	मध्य प्रदेश	1,352	1,302	1,543	1,542	1,655	1,531
15	महाराष्ट्र	958	922	1,093	1,092	1,173	1,084
16	मणिपुर	282	271	321	321	345	319
17	मेघालय	197	190	225	225	241	223
18	मिजोरम	225	217	257	257	276	255
19	नगालैंड	310	298	354	353	379	351
20	ओडिशा	845	814	964	964	1,035	957
21	पंजाब	563	542	643	643	690	638
22	राजस्थान	901	868	1,029	1,028	1,104	1,020
23	सिक्किम	113	108	129	129	138	128
24	तमिलनाडु	873	841	996	996	1,069	988
25	तेलंगाना	282	271	321	321	345	319
26	त्रिपुरा	113	108	129	129	138	128
27	उत्तर प्रदेश	2,000	1,925	2,282	2,281	2,449	2,264
28	उत्तराखंड	366	353	418	418	448	415
29	पश्चिम बंगाल	648	624	739	739	793	733
	संघ राज्य क्षेत्र						
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	169	163	193	193	207	191
31	चंडीगढ़	28	27	32	32	34	32

32	दादर और नगर हवेली	28	27	32	32	34	32
33	दमन और दीव	56	54	64	64	69	64
34	दिल्ली	253	244	289	289	310	287
35	लक्षद्वीप	28	27	32	32	34	32
36	पुडुचेरी	113	108	129	129	138	128
	कुल	**17,545**	**16,895**	**20,025**	**20,017**	**21,485**	**19,866**

राशि लाख रू.

		2017-18		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**आवंटित**	**उपयोग की गई**	**आवंटित**	**उपयोग की गई**	**आवंटित**	**उपयोग की गई**	**आवंटित**	**उपयोग की गई**
1	आंध्र प्रदेश	465	455	600	559	758	744	559	629
2	अरुणाचल प्रदेश	500	490	646	602	816	802	602	678
3	असम	965	945	1,246	1160	1574	1546	1160	1307
4	बिहार	1,358	1,330	1,753	1633	2215	2176	1633	1839
5	छत्तीसगढ	572	560	738	688	933	916	688	774
6	गोवा	71	70	92	86	117	115	86	97
7	गुजरात	893	875	1,153	1075	1457	1431	1074	1210
8	हरियाणा	679	665	877	817	1108	1088	817	920
9	हिमाचल प्रदेश	429	420	554	516	700	687	516	581
10	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	500	490	646	602	816	802	602	678
11	झारखंड	786	770	1,015	946	1282	1260	946	1065
12	कर्नाटक	965	945	1,246	1160	1574	1546	1160	1307
13	केरल	500	490	646	602	816	802	602	678
14	मध्य प्रदेश	1,715	1,679	2,214	2063	2798	2748	2063	2323
15	महाराष्ट्र	1,215	1,190	1,568	1461	1982	1947	1461	1645
16	मणिपुर	357	350	461	430	583	573	430	484
17	मेघालय	250	245	323	301	408	401	301	339
18	मिजोरम	286	280	369	344	466	458	344	387
19	नगालैंड	393	385	507	473	641	630	473	532
20	ओडिशा	1,072	1,050	1,384	1289	1749	1718	1289	1452
21	पंजाब	715	700	923	860	1166	1145	860	968
22	राजस्थान	1,144	1,120	1,476	1375	1865	1832	1375	1549
23	सिक्किम	143	140	185	172	233	229	172	194
24	तमिलनाडु	1,108	1,085	1,430	1332	1807	1775	1332	1500
25	तेलंगाना	357	350	461	430	583	573	430	484
26	त्रिपुरा	143	140	185	172	233	229	172	194
27	उत्तर प्रदेश	2,537	2,484	3,275	3052	4139	4065	3051	3436
28	उत्तराखंड	465	455	600	559	758	744	559	629
29	पश्चिम बंगाल	822	805	1,061	989	1341	1317	988	1113
	संघ राज्य क्षेत्र								
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	214	210	277	258	350	344	258	290
31	चंडीगढ़	36	35	46	43	58	57	43	48

32	दादर और नगर हवेली	36	35	46	43	58	57	43	48
33	दमन और दीव	71	70	92	86	117	115	86	97
34	दिल्ली	322	315	415	387	525	515	387	436
35	लक्षद्वीप	36	35	46	43	58	57	43	48
36	पुडुचेरी	143	140	185	172	233	229	172	194
	कुल	**22,265**	**21,798**	**28,740**	**26,777**	**36,318**	**35,672**	**26,775**	**30,150**

राशि लाख रू.

		2021-22		2022-23 (अनंतिम अ-लेखापरीक्षित)		2023-24 (अनंतिम अ-लेखापरीक्षित)	
क्र.सं. .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	762	670	744	704	792	697
2	अरुणाचल प्रदेश	820	722	801	758	853	751
3	असम	1582	1392	1545	1463	1645	1449
4	बिहार	2226	1958	2174	2058	2315	2039
5	छत्तीसगढ	937	825	915	867	975	858
6	गोवा	117	103	114	108	122	107
7	गुजरात	1465	1288	1430	1354	1523	1341
8	हरियाणा	1113	979	1087	1029	1158	1019
9	हिमाचल प्रदेश	703	618	687	650	731	644
10	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	820	722	801	758	853	751
11	झारखंड	1289	1134	1259	1192	1340	1180
12	कर्नाटक	1582	1392	1545	1463	1645	1449
13	केरल	820	722	801	758	853	751
14	मध्य प्रदेश	2812	2474	2746	2600	2924	2575
15	महाराष्ट्र	1992	1752	1945	1842	2071	1824
16	मणिपुर	586	515	572	542	609	537
17	मेघालय	410	361	400	379	426	376
18	मिजोरम	469	412	458	433	487	429
19	नगालैंड	644	567	629	596	670	590
20	ओडिशा	1758	1546	1716	1625	1828	1610
21	पंजाब	1172	1031	1144	1083	1218	1073
22	राजस्थान	1875	1649	1831	1733	1949	1717
23	सिक्किम	234	206	229	217	244	215
24	तमिलनाडु	1816	1598	1774	1679	1889	1663
25	तेलंगाना	586	515	572	542	609	537
26	त्रिपुरा	234	206	229	217	244	215
27	उत्तर प्रदेश	4160	3659	4062	3846	4325	3809
28	उत्तराखंड	762	670	744	704	792	697
29	पश्चिम बंगाल	1348	1185	1316	1246	1401	1234
	संघ राज्य क्षेत्र						
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	352	309	343	325	366	322
31	चंडीगढ़	59	52	57	54	61	54
32	दादर और नगर हवेली	59	52	57	54	61	54
33	दमन और दीव	117	103	114	108	122	107
34	दिल्ली	527	464	515	488	548	483
35	लक्षद्वीप	59	52	57	54	61	54
36	पुडुचेरी	234	206	229	217	244	215
	कुल	**36,500**	**32,108**	**35,644**	**33,746**	**37,954**	**33,426**

****